

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/ 236

दिनांक :- 05-03-2021

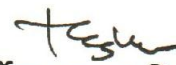
आदेश संख्या : 345/2020-21

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के वर्ष 2011 के बैच के कनि. लेखाकार जिन्हें दो वर्ष परिवीक्षा प्रशिक्षण काल पर नियुक्ति दी गई थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम-1963 के नियम 34 के अन्तर्गत दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्ण पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कॉलम में अंकित तिथि से स्थाई किया जाता है:-

क. सं.	लिंक नं.	मेरिट नं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार	जन्म तिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्य ग्रहण तिथि	परिवीक्षा प्रशिक्षण काल पूर्ण करने की तिथि	नियमितिकरण तिथि	स्थायीकरण तिथि
1	9800	29-ए	धर्मेन्द्र गुप्ता	09.09.1973	18-12-2015 (मध्याह्न पश्चात्)	18-12-2017	19-12-2017	05.03.2018

धर्मेन्द्र गुप्ता, कनि. लेखाकार को स्थायीकरण तिथि से पुनरीक्षित वेतमान नियम-17 के अन्तर्गत पे-मैट्रिक्स लेवल एल-10 नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

कनि. लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एफ. 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 के बिन्दु 03(iv) एवं अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार राजस्थान सेवा नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/ 236

दिनांक :- 05-03-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)